न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1, पीलीभीत ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–330 / 2026

अपराध संख्या–561 / 2025

अतुल उर्फ छोटू पुत्र श्री पुत्तूलाल निवासी ग्राम ढकिया रंजीत थाना दियूरियाकलां जिला पीलीभीत।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

धारा–191(2),191(3),103(1),238 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता
थाना–बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

दिनांकः 18.03.2026

अभियुक्त अतुल उर्फ छोटू पुत्र श्री पुत्तूलाल निवासी ग्राम ढकिया रंजीत थाना दियूरियाकलां जिला पीलीभीत की ओर से अपराध संख्या–561 / 2025 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 103(1), 238 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना बीसलपुर,जिला पीलीभीत में जमानत प्रार्थनापत्र दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है ।

2. संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती अनामिका गंगवार द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनॉक 26.10.. 2025 को शाम करीब 4 बजे उसके पति कस्बा बीसलपुर गये थे ,जब शाम देर तक घर नही आये,उसने अपने पति के फोन पर काल करके पूछा तो पति ने बताया वह गांव के अतुल उर्फ छोटू पुत्र पुत्तूलाल गंगवार व अपन सगे भनेज मनोज कुमार पुत्र बाबूराम गंगवार निवासी मोहल्ला पटेलनगर पुलिया कस्बा व थाना बीसलपुर,जिला पीलीभीत के साथ है ,इसके बाद उसके पति का फोन स्वीच आफ हो गया ,जब सुबह देखा ,तो उसके पति आशीष कुमार की लाश के.के.एस.विद्या मन्दिर के पास नहर पर मृत्यु अवस्था में पायी गयी । उसके पति की हत्या अतुल उर्फ छोटू पुत्र पुत्तूलाल व मनोज कुमार पुत्र बाबूराम आदि ने हत्या कर दी है ,जिसकी जांच करके उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें । दौरान विवेचना अभियुक्त धीरेन्द्र प्रताप गंगवार उर्फ क्लिंटन का नाम प्रकाश में आया है ।

3. आवदेक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवदेक / अभियुक्त को प्रस्तुत मामले मे झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप झूठे व मनगढ़न्त है। आवेदक / अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नही है और न ही सजायाफ्ता मुल्जिम है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बहुत सोच समझकर राय मशवरा लेकर लिखाई गई है जो कि विश्वास करने योग्य नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अनावश्यक विलम्ब है। सह अभियुक्तो की जमानत श्रीमान् जी के न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा धीरेन्द्र की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार बिना वजह शक के आधार पर नामजद किया गया है घटना का कोई चश्मदीद गवाह नही है। प्रार्थी अपने परिवार का अकेला सदस्य है। प्रार्थी के परिवार की देखभाल करने वाला कोई और सदस्य नही है। प्रार्थी काफी समय से बीमार चल रहा है जिसका इलाज ऑल इण्डिया इन्सटीट्यूट आफ

मेडीकल साईसेंज ऋषिकेश मे चल रहा था और आज भी वह बीमार है जिसका इलाज जिला कारागार मे हो पाना संभव नही है। अतः उसको उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी के पति की मारपीट कर हत्या की गयी है तथा उसका शव छिपाकर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया गया है तथा मृतक ने अंतिम बार अपनी पत्नी को फोन कर अभियुक्त अतुल के साथ होना कथित किया था और इसी आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य साथियो द्वारा भी मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैनें अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता, वादिनी के निजी अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमे अभियुक्त अतुल उर्फ छोटू को नामजद है तथा वादिनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से कथित किया है कि उसके पति ने फोन पर बताया था कि वह गांव के अतुल उर्फ छोटू के साथ है। विवेचना के दौरान भी अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्होने मृतक आशीष को लाठी–डण्डों व सरिया से तब तक मारा पीटा गया था ,जब तक कि वह बेहोश होकर नहीं गिर गया तथा बेहोश होने पर अभियुक्तगण भाग गये। विवेचना के दौरान साक्षीगण हरिनंदन व अवनेश ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त अतुल उर्फ छोटू एवं अन्य अभियुक्तगण को नशे की हालत मे मृतक के साथ बहस करते हुए देखा था। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके शरीर पर 12 मृत्युपूर्व चोटें दर्शित की गयी हैं तथा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण सद्मा व अत्यधिक रक्तस्राव का होना दर्शित किया गया है तथा मृतक के शरीर पर आयी चोटें ठोस व कुन्द हथियार से आना दर्शित किया गया है । अतः उक्त परिस्थितियो मे मामले के गुणदोष पर कोई विचार किए बिना अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अतुल उर्फ छोटू पुत्र श्री पुत्तूलाल निवासी ग्राम ढकिया रंजीत थाना दियूरियाकलां जिला पीलीभीत का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(विजय कुमार डुंगराकोटी)

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 1

पीलीभीत।

जे.ओ.कोड यू.पी.6156